राजस्थान कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

INCRajasthan

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना की शुरूआत 1 मई, 2021 से की गयी। इसके तहत 10 लाख रुपये प्रति परिवार निःशुल्क उपचार तथा 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 1.38 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं। कॉकलियर इंप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट एवं बोनमैरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को देय 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त हैं।

वर्ष 2023-24 के बजट में कैशलेस सुविधा को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये प्रति परिवार करने की घोषणा एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये किये जाने की घोषणा।

योजना से अब तक प्रदेश के 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है तथा 3,885 करोड़ रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई गई।

योजना में अब तक 846 राजकीय एवं 922 निजी चिकित्सालय योजना से संबद्ध है।

योजना लागू होने के बाद प्रदेश की 88 प्रतिशत जनता स्वास्थ्य बीमा धारक हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 41 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में 1,033, मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं आरयूएचएस में 689, राजमेस मेडिकल कॉलेज एवं जिला, उप जिला, सैटेलाइट चिकित्सालयों में 96, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेन्सरी चिकित्सालयों में 15 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रतिदिन 1.25 से 1.50 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही हैं।

वर्ष 2023-24 के बजट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जांचों की संख्या 37 से बढ़ाकर 56 करने की घोषणा की गई है।

योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1 हजार 222 करोड़ रुपये का व्यय कर 27 करोड़ 14 लाख से अधिक जांचें कर 9 करोड़ 75 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 1594 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना से प्रतिदिन करीब 3.5 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं।

योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 4 हजार 52 करोड़ रुपये व्यय किये गये|

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

राजकीय चिकित्सालयों में राजस्थान के निवासियों को शत-प्रतिशत दवाइयां एवं जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई, 2022 से प्रारम्भ की गयी है। अब राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

एक रूपये किलो गेहूं

यह योजना राज्य सरकार की अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रू. किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्त्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रु. किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकर ने मार्च 2019 से अब तक 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को गेहूं वितरण के लिए 392 करोड़ रुपये की राशि वहन की है।

महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अब तक 1701 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2023-24 के बजट में इन विद्यालयों की लोकप्रियता एवं इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किये जाने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48 हजार रुपये से कम हो, को पेंशन देय है। बीपीएल, अन्त्योदय एवं आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार 500 रूपए प्रतिमाह से 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। वर्ष 2023-24 के बजट में समस्त लाभान्वितों को न्यूनतम एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की घोषणा। 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लाभार्थियों को वर्तमान में देय 500-750 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर एक हजार रुपये पेंशन मिल सकेगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 8454.53 करोड़ रुपये व्यय कर 18.22 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए स्वयं एवं पति अथवा पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा पत्नी या पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48 हजार रुपये से कम हो, को पेंशन देय है। बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। वर्ष 2023-24 के बजट में समस्त लाभान्वितों को न्यूनतम एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की घोषणा। 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लाभार्थियों को वर्तमान में देय 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर एक हजार रुपये पेंशन मिल सकेगी।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 21,361 करोड़ रुपए व्यय कर 53.40 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

पालनहार योजना

अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल, पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बालक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार योजना में 0–6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये एवं 6-18 आयुवर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह की गई है। वर्ष 2023-24 के बजट में पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को देय एक हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर एक हजार 500 रुपये किये जाने की घोषणा।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2245 करोड़ रुपये व्यय कर 6.86 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना– 2019

योजना 12 दिसम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गई। कृषक कल्याण कोष के अन्तर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि से योजना के अन्तर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। गुणवत्तायुक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिये जाने का प्रावधान है। कृषक, कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था, प्रतिष्ठान इस योजना का फायदा ले सकते हैं। योजना में अब तक 938 आवेदकों को 305.50 करोड़ रूपये अनुदान दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

दिसम्बर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। प्रदेश में नये उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र हैं। योजनान्तर्गत 26,827 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर, 23,284 आवेदकों को 5256 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये।

एम.एस.एम.ई. अधिनियम–स्व प्रमाणीकरण

प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम के तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक किसी स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 2022-23 के बजट में स्वीकृति एवं निरीक्षण में छूट की सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किये जाने की घोषणा की गई है। योजनान्तर्गत 16,514 पंजीयन हुए हैं।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) – 2019 एवं 2022

राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई रिप्स - 2019 योजना के अंतर्गत नवम्बर माह तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों के 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपान्तरण से संबंधित पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

राज्य सरकार ने रिप्स -2022 योजना भी प्रारंभ की है जो कि 7 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिएरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। अब तक रिप्स योजना-2022 के अंतर्गत 32,175 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों के 1280 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

सूचना पोर्टल–2019

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर, 2019 को जन सूचना पोर्टल - 2019 का लोकार्पण किया गया। इसमें 115 विभागों की 333 योजनाओं की 694 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत अब तक 20.12 करोड़ जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई।

राजस्थान जन आधार योजना

राजस्थान जन आधार योजना, 2019 का शुभारम्भ 18 दिसंबर, 2019 से किया गया। योजना का उद्देश्य राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को 'एक नम्बर - एक कार्ड - एक पहचान' प्रदान किया जाना है। योजना के अंतर्गत 1.96 करोड़ परिवारों के 7.65 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

युवाओं को बेरोजगारी के दश से मुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी, 2019 से यह योजना शुरू हुई। राज्य सरकार पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रुपये प्रतिमाह की राशि दे रही है । लाभार्थियों की संख्या को 1 लाख 60 हजार से बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख किया गया है। योजना को नियोजनीय बनाते बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घण्टे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जा रही है। योजना में 6.22 लाख बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर 1966 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं सभी वर्गों, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना राज्य में संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत 12010 स्कूटी वितरित।

इंदिरा रसोई योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने "कोई भूखा नहीं सोए" के संकल्प के साथ 20 अगस्त, 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में यह योजना शुरू की। इसमें लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बैठाकर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के बजट में इंदिरा रसोई योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर दो हजार करने की घोषणा।
वर्तमान में संचालित 980 इंदिरा रसोई के माध्यम से 105.91 करोड़ से अधिक भोजन थाली उपलब्ध कराई गई।

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

योजना का उद्देश्य राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु, आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है | योजनान्तर्गत 3904 स्कूटी वितरित।

मुख्यमंत्री कन्यादान / हथलेवा योजना

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। राजस्थान के मूल निवासी को ही यह सहायता देय है । अनुसुचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं क विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये सहायता दी जा रही है । कन्या के 10 वीं पास होने पर 10,000 रुपये एवं स्नातक पास होने पर 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 49,374 लाभार्थियों को 179 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई।

राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019

योजना के माध्यम से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एवं उनके आश्रितों को सहायता देय है। साथ ही उनका पुनर्वास किया जाता है। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक पुर्नवास के लिये 738 करोड़ रुपये सहायता में दिये गए। वही पेंशन के तौर पर 147 करोड़ रुपये सहायता में दिये गए।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को प्रारंभ की गई। वर्ष 2022-23 से योजना को राज्य के सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया है। इस योजना में प्रतिवर्ष 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को पांच चरणों में 6,000 रुपये का नकद लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 88,287 महिलाओं को 16 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जून 2021 को योजना का शुभारंभ किया। योजना का लाभ फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं एवं मीटर चालू, बंद अथवा खराब होने की स्थितियों में देय है। यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम 1,000 रुपये एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये है। योजना के अंतर्गत अब तक 1727 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। वर्ष 2023-24 के बजट में 2 हजार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा।